भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 467**

दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**वृन्दावन और काशी में विधवा महिलाओं के लिए आश्रम**

**467. श्री रामकुमार वर्मा :**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वृन्दावन और काशी में पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा से आई हुई विधवा महिलाएं दयनीय स्थिति में रह रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां कितनी विधवा महिलाएं रह रही हैं;

(ग) क्या इनके लिए आश्रम बनाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो कितने आश्रम बनाये गये हैं, इन आश्रमों में क्या-क्या सुविधायें प्रदान की गयी हैं;

(ङ) क्या इनको समय-समय पर चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जाती हैं; और

(च) इन महिलाओं द्वारा किये गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) और (ख) : वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, विधवाओं के संबंध में एकत्रित आंकड़े केवल जिला स्‍तर पर ही निर्मुक्‍त किए गए हैं । वाराणसी (काशी) के संबंध में आंकड़े उपलब्‍ध हैं, लेकिन वृंदावन से संबंधित आंकड़े मथुरा जिले में शामिल हैं ।

|  |  |
| --- | --- |
| **जिला** | **विधवाओं की संख्‍या** |
| वाराणसी (काशी) | 90324 |
| मथुरा | 61912 |

(ग) और (घ) : स्‍वाधार गृह स्‍कीम के अंतर्गत परित्‍यक्‍त विधवाओं के लिए वर्ष 2005 से वर्ष 2010 तक वृंदावन में क्रमश: 250 और 320 संवासिनों की क्षमता वाले दो स्‍वाधार गृहों का निर्माण किया गया । विधवाओं के रहने का सुरक्षित और संरक्षित स्‍थान उपलब्‍ध कराने, उन्‍हें पोषक आहार, स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं, कानूनी और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पूर्ण निधियन से 1000 संवासिनों की क्षमता वाले कृष्‍ण कुटीर नामक एक विधवा गृह का वृंदावन, मथुरा, उत्‍तर प्रदेश में निर्माण किया गया है ।

(ड.) : स्‍कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, संवासिनों के उपचार के लिए डॉक्‍टर गृह का दौरा करते हैं और दवाओं तथा वैयक्‍तिक साफ-सफाई की चीज़ों के लिए संवासिनों को वित्‍तीय सहायता भी प्रदान की जाती है ।

(च) : स्‍कीम के अंतर्गत संवासिनों को अगरबत्‍ती बनाने और पैकेजिंग करने, कशीदाकारी, सिलाई आदि का व्‍यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

\*\*\*\*\*